



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082021-228682
CG-DL-E-02082021-228682

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2870]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 2, 2021/श्रावण 11, 1943

No. 2870]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 2, 2021/SHRAVANA 11, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2021

का.आ. 3092(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 और 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद् द्वारा अधिसूचित करती है कि मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के हिस्से अर्थात् रारा-7 पर किमी 229/2 से 243/6 तक रीवा बाईपास (इसके बाद रीवा बाईपास के रूप में उल्लिखित) का उपयोग करने के लिए यांत्रिक वाहनों पर इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क लगाया जाएगा और भुगतान किया जाएगा और दिनांक 23-06-05 के समझौते के संबंध में मेसर्स पाथ ओरिएंटल हाईवेज प्रा. लिमिटेड, 76 माल रोड, महु, मध्य प्रदेश (18-05-2006 से एक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल होने के बाद से), जिसका पंजीकृत कार्यालय महु में है, रीवा बाईपास के निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए, एतद्वारा उक्त मेसर्स पाथ ओरिएंटल हाईवेज लिमिटेड या इसके अधिकृत वैध प्रतिनिधि को उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क जमा संगृहित और कायम रखने के लिए प्राधिकृत करती है। मूल रियायत अवधि 27 अप्रैल, 2007 से 16 मार्च 2020 तक प्रभावी थी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उक्त परियोजना के लिए रियायत अवधि का विस्तार 16.03.2020 से आगे अर्थात् 19.07.2023 तक 1220 दिनों (24+21+5+1170) तक करने की मंजूरी दी। रियायत अवधि की संशोधित अंतिम तिथि 19 जुलाई, 2023 होगी। इस प्रकार, मेसर्स पाथ ओरिएंटल हाईवेज लिमिटेड या उसके अधिकृत वैध प्रतिनिधि को 17 मार्च, 2020 से रियायत अवधि की संशोधित अंतिम तिथि अर्थात् 19 जुलाई, 2023 तक की अवधि के लिए उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क संगृहित करने और कायम रखने के लिए अधिकृत है।

अनुसूची

रारा-7 पर रीवा बाईपास के प्रयोक्ताओं से प्रति यात्रा वसूली जाने वाली दरें

(सभी राशि रु.में)

अवधि		कार टोल दर	बस टोल दर	ट्रक टोल दर	एलएमवी टोल दर	मल्टी एक्सल टोल दर	टिप्पणी
से	तक						
मूल दर		15	85	85	30	145	
27 अप्रैल, 2007	26 अप्रैल, 2009	15	85	85	30	145	मूल राजपत्र अधिसूचना का.आ.681(अ), दिनांक 27.04.2007 के अनुसार दरें
27 अप्रैल, 2009	26 अप्रैल, 2011	17	94	94	33	160	
27 अप्रैल, 2011	26 अप्रैल, 2013	19	103	103	36	176	
27 अप्रैल, 2013	26 अप्रैल, 2015	21	113	113	40	194	
27 अप्रैल, 2015	26 अप्रैल, 2017	23	124	124	44	213	
27 अप्रैल, 2017	26 अप्रैल, 2019	25	136	136	48	234	
27 अप्रैल, 2019	16 मार्च, 2020	28	150	150	53	257	
17 मार्च, 2020	26 अप्रैल, 2021	28	150	150	53	257	वित्तीय बोली में दी गई प्रति दो वर्ष के बाद टोल दर में 10% वृद्धि के आधार पर दरें
27 अप्रैल, 2021	26 अप्रैल, 2023	30	165	165	58	283	
27 अप्रैल, 2023	19 जुलाई, 2023	33	182	182	64	311	

टिप्पणियां:

1. रारा-7 पर रीवा बाईपास के प्रयोक्ताओं से एकतरफा यात्रा के लिए ऊपर निर्धारित शुल्क लिया जाएगा।
2. जब किसी वाहन को दिन में एक से अधिक बार रारा-7 पर रीवा बाईपास का उपयोग करना पड़ता है, तो प्रयोक्ता अपने विकल्प पर पहली यात्रा में ही एक तरफा यात्रा के लिए डेढ़ गुना शुल्क के भुगतान पर ऐसा करने का हकदार होगा। वाहन मालिक एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क के तीस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान कर मासिक पास का हकदार होगा।
3. निम्नलिखित वाहनों को ऊपर निर्दिष्ट शुल्क से छूट दी गई है अर्थात्: -
 - i. रक्षा वाहन:-
 - ii. वीआईपी प्रतीकों वाला वाहन;

- iii. पुलिस वाहन;
- iv. अग्निशमन वाहन;
- v. एम्बुलेंस;
- vi. अंतिम संस्कार वैन;
- vii. डाक और तार विभाग के वाहन;
- viii. केंद्र और राज्य सरकार के सेवारत वाहन;
- 4. आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित से संबंधित वाहन को बीआईपी प्रतीकों वाले वाहन के रूप में तय किया जाएगा, अर्थात्:
 - i. भारत के राष्ट्रपति;
 - ii. भारत के उपराष्ट्रपति;
 - iii. केंद्रीय और राज्य मंत्री;
 - iv. कैबिनेट मंत्री के दर्जे वाले लोकसभा या राज्यसभा या राज्य विधानसभाओं के विपक्ष के नेता;
 - v. राज्य के राज्यपाल;
 - vi. संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल;
 - vii. केंद्र और राज्य विधानसभाओं के सभापति या अध्यक्ष;
 - viii. निर्वाचित स्थानीय निकायों के कार्यकारी पार्षद;
 - ix. भारत की राजकीय यात्रा पर आए विदेशी गणमान्य व्यक्ति;
 - x. सीडी प्रतीकों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में तैनात विदेशी राजनयिक;
 - xi. संसद और राज्य विधान सभा या संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में परिषद के सदस्य;
- 5. ऊपर उल्लिखित दरें अंग्रेजी और हिंदी में स्पष्ट रूप से टोल प्लाजा पर और रीवा बाईपास के दोनों ओर टोल प्लाजा से 200 मीटर आगे भी प्रदर्शित की जाएंगी।
- 6. उक्त मेसर्स. पाथ ओरिएंटल हाईवेज लि. या इसके अधिकृत वैध प्रतिनिधि भुगतानकर्ता से संगृहित शुल्क के लिए भुगतानकर्ता को एक रसीद देंगे।

[सं.आरडब्ल्यू/बीपीएच/एमपी/रीवा बाईपास/2018-19]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2021

S.O. 3092(E).— In exercise of powers conferred by Sections 7 and 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby notifies that there shall be levied and paid fees on mechanical vehicles, for the use of part of the National Highways i.e. Rewa Bypass from km 229/2 to 243/6 on N.H.7 in the State of Madhya Pradesh (hereinafter referred as Rewa Bypass) at the rates specified in Schedule annexed hereto, and having regard to the Agreement dated 23-06-05 entered into with M/s PATH ORIENTAL HIGHWAYS PVT. LTD., 76 Mall Road, Mhow, Madhya Pradesh (Since converted into a Ltd. Company with effect From 18-05-06) having its registered office at Mhow, to build operate and transfer the Rewa By-pass and for service provided by it, hereby authorize the said M/s. PATH ORIENTAL

HIGHWAYS LTD., or its authorized legal representative to collect and retain fees at the rates specified in the said Schedule. The original concession period was with effect from the 27th Day of April, 2007 to 16th March 2020.

The Ministry of Road Transport and Highways approved the extension of concession period for said project by 1220 days (24+21+5+1170) beyond 16.03.2020 i.e. upto 19.07.2023. The revised end date of concession period will be 19th July 2023. Thereby, M/s. PATH ORIENTAL HIGHWAYS LTD or its authorized legal representative is authorized to collect and retain fees at the rates specified in the said Schedule for period from 17th March 2020 till the revised end date of concession period i.e. 19th July 2023.

SCHEDULE

Rates to be recovered per trip from users of the Rewa By-pass on NH-7

(All amounts in Rs.)

Period		Car Toll Rate	Buses Toll Rate	Truck Toll Rate	LMV Toll Rate	Multi Axel Toll Rate	Remark
From	To						
Original Rate		15	85	85	30	145	
27th April, 2007	26th April, 2009	15	85	85	30	145	Rates as per the Original Gazette Notification S.O.681(E) dated 27.04.2007
27th April, 2009	26th April, 2011	17	94	94	33	160	
27th April, 2011	26th April, 2013	19	103	103	36	176	
27th April, 2013	26th April, 2015	21	113	113	40	194	
27th April, 2015	26th April, 2017	23	124	124	44	213	
27th April, 2017	26th April, 2019	25	136	136	48	234	
27th April, 2019	16th March, 2020	28	150	150	53	257	
17th March, 2020	26th April, 2021	28	150	150	53	257	Rates based on 10% increase in toll rate after every two years given in Financial Bid
27th April, 2021	26th April, 2023	30	165	165	58	283	
27th April, 2023	19th July, 2023	33	182	182	64	311	

Notes:

- The Fee set forth above shall be charged to the users of the REWA BYPASS on N.H.7 for a one way trip.
- When a vehicle has to use the REWA BYPASS on N.H.7 more than once in a day, the user shall at his option be entitled to do so on payment of one and half times the fee for one way trip in the first trip itself. A vehicle owner shall be entitled to a monthly pass on payment of fee equal to thirty times the fee for one way trip.
- Following vehicle are exempted from the fee specified above namely:-
 - Defense Vehicle; -
 - Vehicle with VIP symbols;
 - Police Vehicle;
 - Fire Fighting Vehicle;

- v. Ambulance;
 - vi. Funeral Vans;
 - vii. Posts and Telegraphs Department Vehicles;
 - viii. Central and State Government Vehicles on duty;
4. The vehicle officially belonging to the following shall be decided to be vehicle having VIP symbols namely:
- i. President of India;
 - ii. Vice-President of India;
 - iii. Central and State Ministers;
 - iv. Leaders of opposition of Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the status of Cabinet Minister;
 - v. Governors of States;
 - vi. Lieutenant Governors of Union Territories;
 - vii. Speakers or Chairman of Central and State legislatures;
 - viii. Executive Councilors of local elected bodies;
 - ix. Foreign dignitaries on State visit to India;
 - x. Foreign diplomats stationed in India using cars with CD symbols;
 - xi. Member of Parliament and State Legislative Assembly or Council in their respective constituencies;
5. The above mentioned rates shall be conspicuously displayed in English and Hindi at the Toll Plazas and also 200 meters ahead of Toll Plazas on either side of REWA BYPASS.
6. The said M/s. PATH ORIENTAL HIGHWAYS LTD. or its authorized legal representative shall give a receipt to the payer for the fee collected from the payer.

[No. RW/BHP/MP/RewaBypass/2018-19]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.